Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

सं पीडी/2/2017/एसटजीबीएच/एसईएचआरएमटी/आरयू–3

छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली – 110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi - 110003

Dated 12/6/17

सेवा में,

मुख्य सचिव
बिहार सरकार
पटना (बिहार)

विषय– श्रीमति प्रभावती देवी पत्नी श्री राम जी साह, मीठापुर नई दिल्ली–प्रतिवेदन दिनांक 17.02.2017– दंबंग लोगों द्वारा उत्पीड़न करने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में श्रीमती प्रभावती देवी से प्राप्त अभिवेदन दिनांक 17.2.2017 के संदर्भ में आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर सिवान को दिनाक 15.3.2017 को नोटिस जारी किया। जिला कलेक्टर सिवान से जवाब प्राप्त न होने के कारण प्रमुख सचिव राजस्व एवंभूमि सुधार विभाग तथा जिला कलेक्टर सिवान को सिटिंग नोटिस दिनांक 29.5.2017 को जारी किया जिसमें संबंधित अधिकारियों को दिनांक 6.6.2017 को आयोग में चर्चा हेतु बुलाया गया था। परंतु उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई पत्राचार आयोग को भेजा।

आयोग की उपाध्यक्ष महोदया ने उपरोक्त अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया है। अतः अगली बैठक 28.6.2017 को 4 बजे सुनिश्चित की है। जिसमें उपरोक्त अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। अतः आपसे अनुरोध हैं कि संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें। अन्यथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान 338क के अंतर्गत प्रदंत्त शक्तियों का प्रयोग करके आपको आयोग में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है।

3432-35
12/6/17

भवदीय

(एस. पी. मीना)
सहायक निदेशक

O/C

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार पटना।
2. कलेक्टर जिला सिवान बिहार
3. श्रीमती प्रभावती देवी, पत्नी श्री रामाजी साह, निवास–ए–188, गली न.–11, ओम नगर, मिठापुर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली–110044